

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

असाधारण  
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 29, 1999/पौष 8, 1921  
DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 29, 1999/PAUSA 8, 1921

[ रा.रा.क्षे.दि. सं. 303  
[N.C.T.D. No. 303

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1999

सं. फा. डी. एल. सी. ( डब्ल्यू )/लैब/बी.एल./97/526.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 23-3-1976 की अधिसूचना सं. 1/5/75-यू. टी.एल. के साथ पठित बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (1976 का 19) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल निम्नलिखित कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिए प्रथम एक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करते हैं :—

क्र. सं.	नाम	क्षेत्राधिकार
1.	श्री अजमी अख्तर	राजस्व जिला—उत्तर
2.	श्री अजीम उल हक	राजस्व जिला—केन्द्रीय
3.	श्री एस. बी. शशांक	राजस्व जिला—दक्षिण
4.	श्री आर. सी. मीणा	राजस्व जिला—नई दिल्ली
5.	श्री. एच. पी. एस. सरन	राजस्व जिला—दक्षिण पश्चिम
6.	श्री जी. एल. मीणा	राजस्व जिला—पश्चिम
7.	श्री आर. मोहन राव	राजस्व जिला—पूर्व तथा उत्तर पूर्व
8.	श्री मनप्रीत सिंह घुनम	राजस्व जिला—उत्तर पश्चिम
9.	श्री चौरेंद्र कुमार	रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के नाम पर तथा उनके आदेश से,  
पीयूष शर्मा, अवर सचिव